भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3366
12 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण के लिए वैश्विक केंद्र

†3366. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2026 के लक्ष्यों से परे भारत को खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य सामग्री के लिए वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए दीर्घकालिक कार्यनीति का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सतत पैकेजिंग, पर्यावरण अनुकूल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों और हरित आपूर्ति श्रृंखलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के कार्य-निष्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त उद्यमों के अंतर्गत कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कितना लाभ प्राप्त हुआ;
(ङ) सरकारी योजनाओं के परिणामस्वरूप खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अब तक कितने रोजगार सृजित हुए हैं; और
(च) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण के मामले में पिछड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति में सुधार लाने तथा इसमें पेश आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश भर में अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं यथा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशिष्ट नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं।

(ख): एमओएफपीआई योजनाओं में परियोजना के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत यथा सौर, बायोमास, पवन, आदि का समर्थन करता है और पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत प्रति परियोजना अधिकतम 35 लाख रुपये की अनुमेय लागत के साथ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में नवीकरणीय/ वैकल्पिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत, योजना

दिशानिर्देशों के अनुसार, जल और वायु के संबंध में संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड / एजेंसी द्वारा जारी परिचालन सहमति (सीटीओ), स्वीकृत परियोजनाओं को अनुदान सहायता/सब्सिडी की किस्त जारी करने के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार गैर-ओडीएस (गैर-ओजोन क्षयकारी पदार्थ) और कम जीडब्ल्यूपी (कम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता) रेफ्रिजरेंट आधारित ऊर्जा कुशल शीतलन प्रणालियों के उपयोग के संबंध में शीत शृंखला अवसंरचना की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

इसके अलावा, हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से टिकाऊ खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए, एमओएफपीआई द्वारा आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण में, जो दिनांक 25-28 सितंबर, 2025 के दौरान भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ, फोकस स्तंभों में से एक "खाद्य प्रसंस्करण में टिकाऊ और नेट जीरो" शामिल था। इसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में संसाधन दक्षता, अपशिष्ट में कमी, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग समाधानों को बढ़ावा देना था।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान-तंजावुर ने पॉली लैक्टिक एसिड (पीएलए), स्टार्च, नैनो फाइबर आदि जैसे बायोपोलिमर से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग समाधानों के विकास के माध्यम से टिकाऊ पैकेजिंग तकनीक को बढ़ावा देने और विकसित करने के प्रयास किए हैं।

(ग) से (ङ): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, 5009.61 करोड़ रुपये की अनुमोदित सब्सिडी और 3,76,326 स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए प्रारम्भिक पूंजी के साथ 1,72,707 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इनक्यूबेशन केंद्रों के लिए 76 प्रस्तावों और ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 25 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया हैं।

दिनांक 31.12.2025 तक, पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 5.18 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, जिनमें से वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश भर में 1.52 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। इन उद्यमों द्वारा प्राप्त लाभ के संबंध में आंकडा एमओएफपीआई के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

इसके अलावा, दिनांक 31.12.2025 तक, पूरे देश में पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत प्रचालनरत परियोजनाओं से 4.69 लाख प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं और पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत 3.29 लाख प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

(च): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और इसे विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद करने के लिए, एमओएफपीआई पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) सहित पूरे देश में पीएमकेएसवाई योजना, पीएलआईएसएफपीआई और पीएमएफएमई योजना कार्यान्वित्त कर रहा है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, पीएमकेएसवाई की घटक योजना दिशानिर्देशों में निम्नलिखित अधिमान्य प्रावधान किए गए हैं:

(i) सामान्य क्षेत्रों के लिए 1.5 गुना की तुलना में निवल संपत्ति आवश्यकता को मांगी गई अनुदान राशि के बराबर तक कम किया;

(ii) सामान्य क्षेत्रों के लिए 20% की तुलना में सावधि ऋण आवश्यकता को पात्र परियोजना लागत का 10% तक कम किया;

(iii) सामान्य क्षेत्रों के लिए 20% की तुलना में तक इक्विटी आवश्यकता को पात्र परियोजना लागत का 10% कम किया;

(iv) सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% की तुलना में अनुदान की मात्रा को पात्र परियोजना लागत के 50% के उन्नत स्तर पर बढ़ाया गया है (संबंधित उप-योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम सीमा के अधीन) ;

(v) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (सीएफपीपीसी) योजना परियोजनाओं के मामले में सामान्य क्षेत्रों के लिए तीन करोड़ रुपये की तुलना में न्यूनतम परियोजना लागत को घटाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है [अन्य योजनाओं के लिए, ऐसा कोई मानदंड निर्धारित नहीं है]

इसके अलावा, पीएमकेएसवाई और पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, बजट आवंटन का 10% एनईआर के लिए निर्धारित किया गया है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाया गया है ताकि इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संदर्भ में व्यापक लाभ उठाया जा सके। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक अवसंरचना के अनुरूप रूपरेखा प्रदान करती है। ओडीओपी की पहचान राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कृषि उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद की खराब होने की संभावना आदि के आधार पर की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के सभी जिलों को पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत केंद्रित सहायता और मूल्य वर्धन के लिए अपनी स्थानीय क्षमता के आधार पर एक उत्पाद की पहचान करने वाले ओडीओपी दृष्टिकोण के अंतर्गत कवर किया गया है।

ये सभी योजनाएं देशभर में कार्यान्वित्त की जा रही हैं और इनका उद्देश्य खेत से खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन, बाजार संपर्क बनाना, आदि शामिल हैं, जिससे फसलोत्तर हानि को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि-इतर रोजगार के अवसर सृजित करने में मदद मिलती है।

*****

अनुबंध

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए "खाद्य प्रसंस्करण के लिए वैश्विक केंद्र" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3366 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमएफएमई योजना की प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	स्वीकृत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण की संख्या (संख्या)	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण की अनुमोदित सब्सिडी (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों की संख्या	एसएचजी सदस्यों को स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	अनुमोदित इन्क्यूबेशन केंद्रों की संख्या	इन्क्यूबेशन केन्द्रों के लिए अनुमोदित अनुदान सहायता (करोड़ में रु.)	अनुमोदित ब्रांडिंग और मार्केटिंग परियोजनाओं की संख्या	ब्रांडिंग और मार्केटिंग परियोजनाओं के लिए अनुमोदित अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18	1.03	110	0.41	0	0.00	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	8651	137.81	36926	139.88	2	6.11	2	0.78
3	अरुणाचल प्रदेश	149	9.26	2524	6.56	0	0.00	0	0.00
4	असम	5194	58.97	33454	100.43	1	2.75	0	0.00
5	बिहार	28648	660.88	24254	86.30	2	4.81	1	0.59
6	चंडीगढ़	5	0.21	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	छत्तीसगढ	1442	62.49	10914	14.13	2	5.50	0	0.00
8	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	12	0.41	13	0.02	0	0.00	0	0.00
9	दिल्ली	378	8.98	0	0.00	2	4.67	0	0.00
10	गोवा	140	5.40	2077	7.77	1	2.03	1	1.04
11	गुजरात	1217	78.26	7185	18.39	0	0.00	0	0.00
12	हरियाणा	1737	110.76	1675	6.10	0	0.00	1	2.71
13	हिमाचल प्रदेश	2628	63.57	15602	58.67	3	8.84	0	0.00
14	जम्मू और कश्मीर	2121	43.20	1114	3.97	3	7.80	0	0.00
15	झारखंड	4665	94.82	6158	20.72	0	0.00	3	2.48
16	कर्नाटक	8402	315.18	19054	74.91	14	32.17	5	5.30
17	केरल	8478	221.96	6802	21.49	1	2.75	0	0.00

18	लद्दाख	96	4.58	425	1.15	2	5.50	2	0.82
19	मध्य प्रदेश	13221	442.85	13733	43.46	3	9.88	0	0.00
20	महाराष्ट्र	27360	810.63	53857	192.67	3	7.27	4	4.53
21	मणिपुर	310	21.69	421	1.52	0	0.00	0	0.00
22	मेघालय	237	4.07	4285	13.06	1	2.75	0	0.00
23	मिजोरम	67	2.56	2641	10.11	1	2.75	0	0.00
24	नागालैंड	440	7.84	3797	6.90	1	2.43	0	0.00
25	उड़ीसा	3075	91.35	31195	93.05	1	1.85	0	0.00
26	पुदुचेरी	206	4.52	1986	7.68	0	0.00	1	1.58
27	पंजाब	3108	266.83	1404	4.36	1	3.45	2	4.33
28	राजस्थान	1444	85.11	7857	27.03	8	23.11	0	0.00
29	सिक्किम	66	1.78	1275	5.07	2	4.92	2	1.86
30	तमिलनाडु	17869	410.20	31174	119.37	4	8.78	1	0.41
31	तेलंगाना	7345	106.23	24502	95.92	3	8.43	0	0.00
32	त्रिपुरा	286	7.05	4278	16.26	1	2.65	0	0.00
33	उत्तर प्रदेश	22060	803.30	8511	25.97	14	46.91	0	0.00
34	उत्तराखंड	1087	33.49	9349	31.27	0	0.00	0	0.00
35	पश्चिम बंगाल	547	32.39	7787	28.37	0	0.00	0	0.00
	कुल	**172707**	**5009.67**	**376326**	**1282.99**	**76**	**208.11**	**25**	**26.17**

*****